

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL CODE, 1898

In the court of . प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

प्रकरण कमांक

85 /2018

Name and address of the complain मoप्रo शासन द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला प्रशासन भिण्ड म०प्रo

name, parentage, caste and address of accused-

1. बालिकशन उर्फ बालकदास पुत्र हरिकिशन जाटव उम्र 30 वर्ष निवासीगण— एण्डोरी कॉलौनी थाना एण्डोरी गोहद जिला भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleged commission

यह कि आप घटना दिनांक 30.04 2018 के 12:30 बजे एण्डोरी नहर की पुलिया के पास एण्डोरी में अपने आधिपत्य में 24 क्वाटर देशी शराब विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी आज्ञप्ति के अवैध रूप से संग्रह कर विक्रय के आशय से रखे हुये पाये गये।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--

आरोपी का अमिवाक- कापता रू रत्वो कर र्

क्राकावान

16/5/18

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed.

//निर्णय//

(आज दिनांक 16.05.18 को पारित किया गया)

1. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।

- 2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एवं प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उददेश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं।
 - 3. फलस्वरूप आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1500/— रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर बीस दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
 - प्रकरण में जप्तशुदा शराब नष्ट की जावे।
 - आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान-गोहद

दिनांक- 16/05/18

निर्णय आज दिनांकित एवं इस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

> (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेरमएफसी गोडव

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

16/2/18

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद